संख्य 40 / लोनि–1 / 04 / 33(प्रा0आ0) / 2003

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 17 फरवरी ,2004

विषयः–जनपद टिहरी मे चम्बा धरासू मोटर मार्ग के लेटरल मार्ग स्यांसू–रतवाडी–कमान्ध मोटर मार्ग के किमी0 6.5 से 8.5 तक चौडीकरण एवं सुधार कार्य की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3399 / 150याता–उत्तरांचल / 2003 दिनांक 1–8–2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये प्रश्नगत कार्य की रूपये 30.60 लाख के आगणन के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई रू0 29.30 लाख (रूपये उन्नतीस लाख तीस हजार मात्र)की लागत की आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष मे रूपये 0.50 लाख (रूपये पच्चास हजार मात्र) के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1 कार्य करते समय बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका,स्टोर पर्चेज रूल्स टैण्डर / कुटेशन विषयक नियम एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा

2. उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि यदि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में स्वीकृत हो गया हो तो इस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नही किया जायेगा,एवं इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

3 आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है,अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति हेते नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4 कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जायं ।

5 कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय,जितना कि स्वीकृत किया जा रहा है ।स्वीकृत लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करके कब्जा प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

6 एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7 यदि उक्त कार्य के लिये इससे पूर्व लोक निर्माण विभाग के बजट में या अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि अवमुक्त की गई है तो इस धनराशि का कोषागार से आहरण नही किया जायेगा,और धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी ।

8 कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य रखते हुये लोक निर्माण विभाग से प्रचलित नियमों/दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन कराना सुनिश्चित करें ।

9 कार्य कराने से पूर्व स्थल का उच्च अधिकारियों के साथ भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायं ।

10 आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है,उसी मद पर व्यय किया जायं,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जायं ।

11 निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिग करा ली जाय,तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जायं ।

12 स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31–3–2004 तक करने के उपरान्त कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायं ।

13 कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

14 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक –5054 सडको तथा सेतुओं पर पूजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अनय सडके–आयोजनागत–800 अन्य व्यय–03 राज्य सैक्टर–02 नया निर्माण कार्य –24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

15 यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अ0शा0 संख्या–2852 /वित्त अनुभाग–3/2004 दिनाक 15–2–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जारहे है ।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव।

संख्या 40 /लोनि–1/04 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार(लेखा प्रथम)उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून।
2 आयुक्त गढवाल मण्डल,पौडी ।
3 निजी सचिव,मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तरांचल।
4 निजी सचिव,मा0 मंत्री जी लोक निर्माण विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5 मुख्य अभियन्ता,स्तर–2 लोक निर्माण विभाग,पौडी ।
6 जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी,टिहरी ।
7 अधीक्षण अभियन्ता 27 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग,टिहरी ।
8 वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
9 लोक निर्माण अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव ।